न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2023/240

1. चन्द्र शेखर शर्मा पुत्र श्री चिरंजीलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम महेश्वराकलां, तहसील दौसा, जिला दौसा, राजस्थान।

– अपीलान्ट

बनाम

1. घासी पुत्र राधाबल्लव, जाति ब्राहमण, निवासी–जाति ब्राहमण निवासी महेश्वराकलां, तहसील दौसा, जिला दौसा, राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, दौसा जिला दौसा, राजस्थान।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा दिनांक 26.06.2023 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट उनवानी घासी बनाम सरकार मुकदमा नंबर 90/2023 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री कृष्ण मुरारी शर्मा, वकील अपीलान्ट।
2. श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–20.03.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 26.06.2023 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 एक ही गांव के रहने वाले है और पडौसी काश्तकार है। ग्राम महेश्वरा कलां में आराजी खसरा नम्बर 1906 रकबा 0.31 है0 व 1919 रकबा 0.30 है0 कुल रकबा 0.61 है0 भूमि स्थित है उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 का उक्त भूमि से किसी किस्म का कोई ताल्लूक वास्ता नहीं है। परन्तु अप्रार्थीगण 2 लगायत 5 हमेशा सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न करते रहते है व सीमा का विवाद रहता है। प्रार्थी ने अपनी आराजी की सीमा ज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार दौसा के यहां प्रस्तुत किया था जिस पर पटवारी हल्का द्वारा सीमा ज्ञान कर दिया गया था इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न करते है इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि उपरोक्त की वास्तविक पैमाईश करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहता है ताकि मौके पर सीमा संबंधी कोई विवाद ना रहे। तहसीलदार दौसा को आदेश फरमाया जावे कि वे राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर स्वंय की मौजूदगी में उपरोक्त आराजीयात की वास्तविक पैमाईश कर पत्थरगढी करें व भूमि के चारों तरफ पत्थरगढी के निशानात कायम कर पत्थर गाढे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार दौसा को आदेश व निर्देश फरमाया जावे कि ग्राम महेश्वरा कलां में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1906 व 1919 की राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर पुलिस मदद से वास्तविक पैमाईश करवाकर भूमि के चारो तरफ पत्थरगढी के निशानात कायम कर पत्थर गाढने हेतु आदेश फरमाने की कृपा करें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया गया कि यदि अन्य किसी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उक्त आराजी का अनुभवी पटवारियों/भू.अ. निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थी की उक्त आराजी के समीपवर्ती काश्तकारों को लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं संभलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो तो पुलिस कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2023 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 26.06.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट चन्द्र शेखर शर्मा पुत्र श्री चिरंजीलाल ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा दिनांक 26.06.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र पर बिना सहखातेदार की सहमति लिये बिना पूर्व में कोई सीमा ज्ञान की रिपोर्ट को ही आधार मानकर महिला पुरूष पुलिस बल की सहायता से पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित किये गए, उक्त प्रकरण में प्रार्थी/अपीलांट को ना तो कोई नोटिस दिया गया ना ही कोई सूचना दी गई जबकि प्रार्थी/अपीलांट की उक्त भूमि खसरा नम्बर 1920 में रकबा 0.4500 हैक्टेयर व 1921 में 0.2600 हैक्टेयर भूमि है जिसमें अपीलांट शुरू से कब्जा काश्त करता आ रहा है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उप जिला कलेक्टर जिला दौसा के समक्ष प्रकरण संख्या 6/23 दिनांक 27.02.2023 को पत्थरगढी कराने के लिए आराजी खसरा नम्बर 1906 व 1919 वाके ग्राम महेश्वराकलां प्रार्थना पत्र पेश किया था उक्त प्रार्थना पत्र में सहखातेदार 2 लगायत 5 पक्षकार बनाया गया था जिसमें अपीलांट भी पक्षकार था जिसमें तामील हो जाने के पश्चात दिनांक 15.06.2023 को प्रार्थी घासी द्वारा बिना रेस्पोडेन्ट की जानकारी के उक्त प्रार्थना पत्र को विड्रो कर लिया और अगले दिन दिनांक 16.06.2023 को तहसीलदार दौसा के समक्ष नया आवेदन प्रस्तुत कर दिया, उक्त प्रार्थना पत्र पर बिना किसी सहखातेदार को सुने एकतरफा पत्थरगढी का आदेश पारित करवा लिया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है, जिस कारण अपीलार्थी ने आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है। काननून माननीय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पारित करने से पूर्व भूमि के खातेदारों, काश्तकारों को एव पडौसी खातेदारों को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान कर आदेश पारित किया जाना था जो कि माननीय न्यायालय द्वारा नहीं किया गया जिस कारण भी उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी/अपीलांट की खातेदारी भूमि ग्राम महेश्वराकलां, तहसील दौसा, जिला दौसा में आराजी खसरा नम्बर 1920 में रकबा 0.4500 हैक्टेयर व 1921 में 0.2600 हैक्टेयर भूमि स्थित है तथा कानूनन सीमा का विवाद पडौस काश्तकारों से ही होता है जिस कारण कानूनन सीमा ज्ञान व पत्थरगढी करवाने से पूर्व पडौसी काश्तकारों को सूचना दिया जाना आवश्यक है और रेस्पोडेन्ट द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को बाले बाले ही विड्रो कर अपनी दुर्भावनाओं को दर्शाता है और अपनी राजनैतिक एप्रोच लगाकर उक्त एकतरफा आदेश पारित करा लिया। काननून सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढी के कानून का प्रावधान व उसका उपयोग किसी भी व्यक्ति को अपनी भूमि से बेदखल करने के लिए नहीं किया जा सकता है जिसमें प्रार्थी की भूमि से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलार्थी को बेदखल करना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वंय में विरोधाभासी होने के कारण भी निरस्तनीय है।

प्रार्थी/अपीलांट वाके ग्राम महेश्वराकलां तहसील दौसा, जिला दौसा आराजी खसरा नम्बर 1906 में 0.31 हैक्टेयर व 1919 में 0.30 हैक्टेयर की भूमि का पडौसी खातेदार है और वह अपनी भूमि पर काबिज होकर कब्जा काश्त कर रहा है जिसकी सम्पूर्ण जानकारी अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को रही है परन्तु अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को जानबूझकर मूल प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है, उक्त आदेश की आड में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रार्थी/अपीलांट को उसके कब्जे काश्त की भूमि सें बेदखल करके कब्जा करने पर आमादा हो रहे है, चूंकि प्रार्थी/अपीलांट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित हो रहे जिस कारण अपीलांट को उपरोक्त अपील प्रस्तुत करने की ईजाजत प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से प्रार्थी/अपीलान्ट के विधिक अधिकार प्रभावित हो रहे है जिस कारण यदि प्रार्थी/अपीलांट को उक्त अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई तो अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट, तहसीलदार महोदय से मिलीभगत कर प्रार्थी/अपीलांट को भूमि से बेदखल कर उसकी भूमि को अवैध रूप से अपने कब्जे में करने के लिए पत्थरगढी करवा लेगा जिससे प्रार्थी/अपीलांट को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। अतः अपील प्रार्थी/अपीलांट मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमायी जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा जिला दौसा के समक्ष उनवानी प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 एल.आर.एक्ट उनवानी घासी बनाम सरकार प्रार्थना पत्र संख्या 90/2023 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2023 के बाबत प्रार्थी/अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा दिनांक 26.06.2023 निरस्त फरमाने की कृपा करे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि हाल रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 एक ही गांव के रहने वाले है और पडौसी काश्तकार है। ग्राम महेश्वरा कलां में आराजी खसरा नम्बर 1906 रकबा 0.31 है0 व 1919 रकबा 0.30 है0 कुल रकबा 0.61 है0 भूमि स्थित है उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 का उक्त भूमि से किसी किस्म का कोई ताल्लूक वास्ता नहीं है। परन्तु अप्रार्थीगण 2 लगायत 5 हमेशा सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न करते रहते है व सीमा का विवाद रहता है। प्रार्थी ने अपनी आराजी की सीमा ज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार दौसा के यहां प्रस्तुत किया था जिस पर पटवारी हल्का द्वारा सीमा ज्ञान कर दिया गया था इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न करते है इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि उपरोक्त की वास्तविक पैमाईश करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहता है ताकि मौके पर सीमा संबंधी कोई विवाद ना रहे। तहसीलदार दौसा को आदेश फरमाया जावे कि वे राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर स्वंय की मौजूदगी में उपरोक्त आराजीयात की वास्तविक पैमाईश कर पत्थरगढी करें व भूमि के चारों तरफ पत्थरगढी के निशानात कायम कर पत्थर गाढे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार दौसा को आदेश व निर्देश फरमाया जावे कि ग्राम महेश्वरा कलां में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1906 व 1919 की राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर पुलिस मदद से वास्तविक पैमाईश करवाकर भूमि के चारो तरफ पत्थरगढी के निशानात कायम कर पत्थर गाढने हेतु आदेश फरमाने की कृपा करें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा द्वारा हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया गया कि यदि अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उक्त आराजी का अनुभवी पटवारियों/भू.अ. निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थी की उक्त आराजी के समीपवर्ती काश्तकारों को लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं संभलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो तो पुलिस कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2023 पारित किये गये हैं। उन्होंने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही केवल हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की आराजी की ही पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक 26.06.2023 पारित किये गये। जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को किसी प्रकार के उज्रात करने का कानूनी हक अधिकार प्रदत्त नहीं है बल्कि अपीलार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को बैजा हैरान परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की गई है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2023 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण पत्थरगढी से संबधित है जिसमें अपीलान्ट व पडौसी खातेदारों को सुनवाई एवं साक्ष्य, सबूत तथा दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत पूर्ण अवसर दिया जाना पत्रावली के अवलोकन से विदित नहीं होता है। अपीलान्ट उक्त विवादित भूमि के समीपस्थ पक्षकारान् है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है। अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.06.2023 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा को न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान कर तथा बाद सुनवाई एवं समरी जांच पश्चात प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय 26.06.2023 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान कर तथा बाद सुनवाई एवं समरी जांच पश्चात प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 20.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर